अप्रैल, 2018 में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

पद्म पुरस्कार प्रदान करने के लिए द्वितीय अधिष्ठापन समारोह 02 अप्रैल 2018 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था, जहां भारत के राष्ट्रपति ने 43 पुरस्कार विजेताओं को पद्म पुरस्कार प्रदान किए।

2. माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 24 अप्रैल, 2018 को आईलैंड डेवलपमेंट एजेंसी (आईडीए) की तीसरी बैठक आयोजित की गई।

3. माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में, दिनांक 26.04.2018 को गांधीनगर में वेस्टर्न जोनल परिषदों की 23वीं बैठक आयोजित की गई।

4. गृह राज्य मंत्री ने, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में मोबाइल कनेक्टिविटी के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 25.04.2018 को एक बैठक आयोजित की।

5. बलात्कार के अपराधों के लिए प्रभावी निवारण तथा कठोर दण्ड देने के लिए दिनांक 21.04.2018 को दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया गया।

6. माननीय प्रधानमंत्री के यू. के. दौरे के समय अंतरराष्ट्रीय अपराधिता का सामना करने एवं गंभीर संगठित अपराध से निपटने के प्रयोजनार्थ सूचना के आदान-प्रदान संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

7. दिनांक 06.04.2018 को, केन्द्रीय गृह सचिव ने आकांक्षी जिलों के रूपांतरण और झारखण्ड में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा करने के बारे में रांची में एक बैठक आयोजित की।

8. केन्द्रीय गृह सचिव ने झारखण्ड में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा प्राप्त की गई सफलता तथा महाराष्ट्र में सफल एण्टी-एलडब्ल्यूई ऑपरेशन, जिसमें 39 वामपंथी उग्रवादी काडरों का सफाया किया गया, के लिए क्रमश: झारखण्ड और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे।

9. अप्रैल, 2018 के दौरान, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में वापमंथी उग्रवाद की गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु राज्य सरकारों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सुग्राही बनाने के लिए 04 परामर्शी पत्र जारी किए गए।

10. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग के पूरे जिलों और असम राज्य की सीमा से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के जिलों के 08 पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को 01.04.2018 से

30.09.2018 तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करते हुए दिनांक 01.4.2018 को अधिसूचना जारी की गई। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.4.2018 से मेघालय राज्य से एएफएसपीए, 1958 को हटा लिया गया है।

11. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (रिफार्मेशन)[एनएससीएन (आर)] तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (न्यूपाओ कोन्यांक-किटोवी) [एनएससीएन (एनके)] के साथ हस्ताक्षरित युद्धविराम करारों को 27.04.2019 तक एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया।

12. दिनांक 04.04.2018 को, केन्द्रीय गृह सचिव ने असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम राज्यों तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को बाढ़/भूस्खलन और 2017 के ओखी चक्रवात हेतु केन्द्रीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) की बैठक आयोजित की।

13. दिनांक 18.04.2018 को केन्द्रीय गृह सचिव ने सीमा अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में 43वीं उच्च स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति (एच एल ई सी) की बैठक आयोजित की।

14. अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी के अंतर्गत 22.28 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई।

15. विभिन्न राज्यों में सुरक्षा व्यवस्थाओं, कानून और व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों, अमरनाथ यात्रा आदि के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 148 कंपनियां तैनात की गई। भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव, 2018 के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/एस ए पी की कुल 570 कंपनियां तैनात की गई।

16. भारत के राष्ट्रपति ने इसी माह के दौरान 04 राज्य-विधेयकों अर्थात् महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2017, बिहार कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेंसी (निरसन) विधेयक, 2017, उचित मुआवजा एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं व्यवस्थापन में पारदर्शिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2018 तथा महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, निकासी एवं पुनर्विकास (संशोधन) विधेयक, 2017 को स्वीकृति प्रदान की। दिनांक 23.04.2018 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा डेथ-रॉ के सिद्धदोषी की एक दया याचिका पर निर्णय दिया गया।

17. राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए 07 दोषी व्यक्तियों के खिलाफ विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन संस्वीकृति प्रदान की गई।

18. इसी माह के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने बड़ी मात्रा में हेरोइन, गांजा, अफीम, कोकेन तथा अन्य नशीले पदार्थों को जब्त किया तथा नशीले पदार्थों के दुर्व्यापार के संबंध में 08 विदेशी राष्ट्रिकों सहित 65 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 18,46,600 रु. मूल्य की भारतीय करेंसी भी जब्त की गई।